(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 193/2022

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022/183

बउनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र आनन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी नई पानी की टंकी के पास, तहसील अटरू
2. कमलाबाई पत्नि स्व. आनन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी नई पानी की टंकी के पास, तह. अटरू
3. कृष्णमुरारी पुत्र आनन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी नई पानी की टंकी के पास, तह. अटरू
4. बलराम पुत्र आनन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी नई पानी की टंकी के पास, तहसील अटरू
5. लाडबाई पुत्री आनन्दीलाल जाति मेघवाल निवासी नई पानी की टंकी के पास, तहसील अटरू

(अपीलांटगण)

बनाम

जोधराज पुत्र घांसीलाल जाति मेघवाल निवासी खांसो का मौहल्ला तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के प्रकरण सं0 :– 02/2022 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.04.2022 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांटगण)

2– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.12.2022

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :– 02/2022 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.04.2022 से अप्रसन्न होकर विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 07.07.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू के पत्रांक 1895 दिनांक 19.07.2022 से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांटगण अपने पूर्वजो सहित आवंटी आनन्दीलाल को आवंटन के बाद संभलाई गई आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया है। अपीलांटगण ने किस तारीख, माह एवं वर्ष में रेस्पो0 की आराजी पर कब्जा किया है। अपीलांटगण का पिता को आवंटित हुई आराजी पर 40 वर्षो से अधिक समय का स्थापित कब्जा है। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधी0 न्यायालय [illegible] प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की भूल की है। खसरा नं. 1506 रकबा [illegible] 11 [illegible] में अपीलांटस के पिता को 0.40 है. आराजी आवंटित हुई है [illegible] नक्शा बरा[illegible] करते समय आवंटियो के कब्जेकाश्त को ध्यान में न रखकर अपीलांट्स के पिता के खसरा नं. 1577/1506 राजस्व रिकार्ड [illegible] ते दर्ज कर दिया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम में की गई [illegible] को आधार बनाकर [illegible] धारा 183 (बी)आरटीएक्ट की कार्यवाही पेश की। हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट देने का वैधानिक अधिकार नहीं है। नक्शा दुरस्ती का मामला है। इस तथ्य को अनदेखा किया गया है। रेस्पो. रकबा बरारी के पूर्व किस जगह पर काबिज था, प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया, रकबा बरारी नक्शा तरमीम किये जाने के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए गये त्रुटिपूर्ण सीमांकन की आराजी पर कब्जा प्राप्त करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 14:58:07 IST
Reason: SelfAttested

धारा 183 बी में प्रावधान नहीं है। अपीलांट्स एवं रेस्पो. दोनों जाति से मीणा होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय न होने से निरस्तनीय है। अपीलांट्स के पूर्वजों के समय से 12 वर्षो से अधिक समय से चले आ रहे विधिपूर्ण कब्जे से बेदखल करने का अधी. न्यायालय को अधिकार नहीं है। अधी. न्यायालय द्वारा पारित अवैध निर्णय दिनांक 29.04.2022 की पालना में रेस्पो. अपीलांटस के कब्जे काश्त की आराजी में व्यवधान एवं दखल करने पर आमादा होने से रेस्पो. को स्थगन आदेश से रोका जाने हेतु अपीलांटस स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलांटस के कब्जेकाश्त की आराजी की सीमाओं पर रेस्पो. ने पत्थर का कोट चुना रखा है। उक्त तथ्य को हल्का पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में न दर्शाकर गलत रिपोर्ट पेश की है जो मौका स्थिति से विसंगत होने से निरस्तनीय है। पटवारी की मोका रिपोर्ट के आधार पर बेदखली की कार्यवाही मियाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो अपीलांट्स को दिलायी जावें।

रेसपोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है क्योंकि रेस्पो. जोधराज द्वारा अधी. न्यायालय तहसीलदार अटरू में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आरटीएक्ट के तहत विरूद्ध अपीलांटगण के प्रस्तुत किया गया था कि उनके द्वारा रेस्पो. की आवंटित भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है। वाके ग्राम एवं माल अटरू की खाता संख्या 191 की खसरा नं. 1506 रकबा 0.40 हैक्टेयर आराजी रेस्पो. के दर्ज खाते स्थित है। उक्त भूमि हमारी थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया था। रिकार्डेड खातेदार है। प्रकरण में तहसीलदार अटरू द्वारा अपीलांटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांटगण द्वारा अधी. न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार अटरू द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली गई। मौका पर्चा बनाया गया। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांटगण को अधी. न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अधी. न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश सही होने से अपील अपीलांटगण खारिज की जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं0 :– 02/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 का गहनता से अध्ययन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांटगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब लिया गया एवं पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई और मौका पर्चा तैयार किया गया। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183(बी) के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों को बेदखल करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उसी के अनुरूप आदेश/निर्णय पारित किया गया है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:58:07 IST
Reason: SelfAttested